241

न्यायालय श्रीमान रजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर म.प्र.

मुन्नीबाई पत्नि नाथूराम आदिवासी सौर निवासी ग्राम खेरा तह. मालथोन हाल निवासी ग्राम बांगची तह. खुरई जिला सागर म.प्र.

B.O.R.
R. 2765-III/13

..............................पुनरीक्षणकर्ता

11 JUN 2013

//विरुद्ध//

1. चंदाबाई पुत्री पुनुसोंर आदिवासी निवासी ग्राम बालाबेहट ब्लाक विरधा तह. जिला ललितपुर उ.प्र.

2. म.प्र. शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय सागर

............................अनावेदकगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा. संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता विनम्र प्रार्थी है–

1. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता यह पुनरीक्षण न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी खुरई द्वारा रा.प्र.क. 39अ/6 वर्ष 2011–12 मुन्नीबाई विरुद्ध म.प्र. शासन में पारित आदेश दिनांक 28.05.13 से पीडित होकर निम्नलिखित तथ्य तथा आधारों पर प्रस्तुत करती हूँ।

प्रकरण के तथ्य–

2. यह कि, रुकमन बाई उर्फ गुलाबरानी भूमि मौजा खेरा खसरा नं. 73 रकवा 1.33 हे. की भूमि स्वामी मालिक काबिज थी। राजस्व अभिलेख में रुकमन बाई बेवा मनू के नाम से दर्ज उक्त जमीन थी। रुकमन बाई पुनरीक्षणकर्ता मुन्नीबाई की बडी मॉ थी अर्थात मुन्नीबाई के पिता करनजू और मनु दोनो सगे भाई भाई थे। मनू करनजू के बडे भाई थी। इस प्रकार रुकमनबाई मुन्नीबाई की बडी मॉ थी।

3. यह कि, रुकमनबाई उर्फ गुलाबरानी का स्वर्गवास लाऔलाद दिनांक 14.11. 2004 को हो चुका है। पुनरीक्षणकर्ता रुकमन बाई उर्फ गुलाबरानी की सगी भतीजी होने के कारण रुकमन बाई की भूमि स्थित मौजा खेरा खं नं. 73 रकवा

मुन्नीबाई

R.2765-III/13 (प्रशासन)

27.
[illegible]. 16

आवेदक श्री. पुजारी [illegible]
परन्तु [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
अध्यक्ष

[कृ. प. उ.